कार्यालय गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर

ई–नीलामी सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में स्थित कैन्टीन क्षेत्रफल–78.00 वर्ग मीटर को धरोहर धनराशि रू0–50,000.00 एवं न्यूनतम आरक्षित किराया रू0–27,000.00 प्रति माह में मासिक किराये पर वित्तीय वर्ष 2025–26(दिनांक 31.03.2026) तक के लिए किराये पर आवंटन हेतु दिनांक 25/10/.2025 से दिनांक 03/11/2025 तक आनलाइन पंजीकरण खोला गया है, जिसकी ई–नीलामी दिनांक 05/11/2025 को होगी। ई–नीलामी से सम्बन्धित नियम, शर्त व अन्य विवरण वेबसाइड www.gdagkp.in पर उपलब्ध है। सभी बोलीदाता नियमित रूप से वेबसाइट में ई–नीलमी देखते रहे अलग से किसी प्रकार के परिवर्तन, संशोधन की जानकारी अन्य माध्यम से नहीं दी जायेगा। आवेदन पत्र आनलाइन ही स्वीकार किया जायेगा।

(पुष्पराज सिंह)
पी0सी0एस0
सचिव।

(आनन्द वर्द्धन)
आई0ए0एस0
उपाध्यक्ष।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर कार्यालय परिसर में स्थित कैन्टिन को ई–नीलामी के माध्यम से किराये पर आवंटन हेतु सामान्य नियम एवं शर्ते निम्नवत है:–

1– प्राधिकरण कार्यालय परिसर में स्थित कैन्टीन का क्षेत्रफल–78.00 वर्ग मीटर है, का आवंटन नीलामी के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025–26(दिनांक 31.03.2026) तक के लिए किराये पर किया जायेगा।

2– ई–नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन शुल्क रू0–1000.00 (जी0एस0टी0 सहित) तथा जमानत धनराशि रू0–50,000.00 प्राधिकरण निधि में आनलाइन जमा करना होगा।

3– कैन्टीन का न्यूनतम आरक्षित किराया प्रतिमाह रू0–27,000.00 है।

4– परिवार का कोई एक सदस्य ही नियमानुसार ई–नीलमी में भाग ले सकेगा।

5– ई–नीलामी की बोली में प्रतिस्पर्धात्मक दर निर्धारित करने तथा कम दर प्राप्त होने पर निविदा की बोली को निरस्त करने का अधिकार उपध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर में निहित होगा।

6– कैन्टीन का आवंटन नियमानुसार उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में किया जायेगा।

7– ई–नीलामी में उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली के आधार पर निर्धारित मासिक किराया जी0एस0टी0 सहित प्राधिकरण निधि में आटोडेविट के माध्यम से जमा करना होगा।

8– कैन्टीन का किराया बिलम्ब से जमा करने पर 15 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा।

9– निरन्तर 04 माह तक किराये की धनराशि जमा न करने पर जमा जमानत धनराशि को जब्त कर कैन्टीन का आवंटन उपध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

10– कैन्टिन के 04 माह का किराया अग्रिम के रूप में जमा करना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

11– कैन्टिन के 04 माह का किराया अग्रिम के रूप में जमा करके इकरारनामा निष्पादित कराने के पश्चात ही कब्जा दिया जायेगा।

12– ई–नीलामी में असफल बोलीदाता को उनके द्वारा जमा जमानत धनराशि में से प्रशासनिक ब्यय रू0–1000.00 मात्र की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

13– कैन्टीन में खाद्य पदार्थ से सम्बन्धित ब्यापार अनुमन्य होगा तथा किसी भी प्रकार के नशे आदि/फोटो स्टेट मशीन रखना अनुमन्य नहीं होगा। निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त कैन्टीन का अन्य कोई उपयोग किये जाने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी किरायेदार की होगी।

14– कैन्टीन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आदि किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा तथा कैन्टीन का विभाजन करना भी अनियमित माना जायेगा। ऐसा करने पर आवंटी द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुए कैन्टीन का आवंटन उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

15– प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों को रियायती दर पर खाद्य पदार्थ को विक्रय किया जाना होगा।

16– किसी भी शासकीय कर/जी0एस0टी0 आदि के भुगतान का दायित्व किरायेदार का होगा।

17– कैन्टीन में विद्युत/पानी कनेक्सन लेने तथा कैन्टीन व उसके आस–पास साफ सफाई रखने का दायित्व आवंटी किरायेदार का होगा।

18– ई–नीलामी को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में निहित होगा। बिना कारण बताये कभी भी ई–नीलामी/किरायेदारी को निरस्त किया जा सकता है।

मुन्नाशर्मा
लिपिक